

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022024-251803 CG-DL-E-05022024-251803

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 781

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945

No. 78]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 2 फरवरी, 2024

सा.का.िन. 87(अ).—िनम्निलिखित मसौदा नियमावली जिसे केंद्र सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, तद्वारा संभवत: प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है, और नोटिस एतद्वारा दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना के मसौदे के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिन की अविध समाप्त होने पर या उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, विष्ठ सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, प्रौद्योगिकी भवन, नई दिल्ली-110016 को या akhilesh.g@nic.in और praveen@nic.in पर ई-मेल द्वारा भेजे जा सकते हैं।

उक्त मसौदा नियमावली के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किया जाएगा।

मसौदा नियमावली

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों को अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (वार्षिक लेखा विवरण का प्रपत्र) नियम, 2023 कहा जाएगा।
 - (2) यह नियमावली सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगी।

667 GI/2024 (1)

- 2. परिभाषाएँ .— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) 'अधिनियम' से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 अभिप्रेत है;
 - (ख) " **प्रपत्र"** से इन नियमों से संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;
 - (ग) "अनुसूची " से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
 - (घ) "वर्ष " से एक वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है जो अप्रैल के पहले दिन से शुरू होता है और अगले वर्ष के मार्च के 31वें दिन को समाप्त होता है।
 - (2) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित परंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और वाक्यांशों का तात्पर्य वहीं होगा जो अधिनियम में उनके लिए निर्धारित किया गया होगा।
- 3. लेखों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का वार्षिक विवरण (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, कार्य परिषद अपने वार्षिक लेखा, तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखे तथा प्राप्ति और भुगतान लेखे को इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में प्रपत्र 'क', प्रपत्र 'ख', प्रपत्र 'ग' में विनिर्दिष्ट वित्तीय विवरण के रूप में तैयार करेगी।
 - (2) प्रतिष्ठान के लेखों का अनुमोदित विवरण कार्य परिषद द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उनकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय वर्ष के अंत के तीन महीने के भीतर, अग्रेषित किया जाएगा।
 - (3) प्रतिष्ठान के लेखों का वार्षिक विवरण, जैसा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उसकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ, कार्य परिषद द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
- 4. लेखों का रखरखाव .— कार्य परिषद नियम 3 के उप-नियम (1) में संदर्भित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखे को न्यूनतम पांच वर्षों की, अपने से संबंधित वर्ष से अगली अवधि के लिए, परिरक्षित करेगी।

वित्तीय विवरण प्रपत्र

[नियम 3 का उप नियम (1) देखें]

प्रपत्र - 'क'

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान

31 मार्च _____तक तुलन पत्र

निधि और देनदारियाँ	अनुसूची	मौजूदा वर्ष	पिछले वर्ष
निधि	I		
आरक्षित और अधिशेष	II		
विनिर्धारित/ अक्षय-निधि	III		
सुरक्षित ऋण और कर्ज	IV		
असुरक्षित ऋण और कर्ज	V		
आस्थगित ऋण देयताएँ	VI		
वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान	VII		
कुल			
परिसंपत्ति			
अचल संपत्तियां	VIII		
निवेश – विनिर्धारित प्रपत्र/ अक्षय-निधि	IX		
निवेश - अन्य	X		
वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम	XI		

विविध व्यय (उस हद तक जिसे बट्टे खाते में		
नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया		
गया है)		
कुल		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	XXII	
आकस्मिक देनदारियाँ और लेखा टिप्पणी	XXIII	

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त प्रभाग के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है। जगह: तारीख:

> प्रपत्र 'ख' समाप्त अवधि/वर्ष _____के लिए आय और व्यय लेखा [नियम 3 का उप नियम (1) देखें]

आय	अनुसूची	मौजूदा वर्ष	पिछले वर्ष
अनुदान/सब्सिडी	XII	-	
शुल्क/सदस्यता	XIII		
निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित /अक्षय-निधि से निधि	XIV		
में अंतरित)			
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	XV		
अर्जित ब्याज	XVI		
अन्य आय	XVII		
कुल (क)			
व्यय	अनुसूची	मौजूदा वर्ष	पिछले वर्ष
स्थापना व्यय	XVII		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	XIX		
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	XX		
ब्याज	XXI		
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में अनुसूची VIII के निवल कुल राशि)	XXII		
कुल (ख)			
शेष राशि का व्यय पर आय से अधिक होना (क-ख) विशेष			
आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें) सामान्य आरक्षित में/से			
अंतरण			
अधिशेष (घाटा) होने के कारण शेष को समग्र/पूंजीगत निधि में ले			
जाया गया			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	XXII		
आकस्मिक देनदारियाँ और लेखा टिप्पणी	XXIII		

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त प्रभाग के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है। स्थान: दिल्ली

स्थान:।दल तारीख:

प्रपत्र 'ग' _____ को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा [नियम 3 का उप नियम (1) देखें]

					राशि रुपये में)
प्राप्तियां	मौजूदा वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	मौजूदा वर्ष	पिछले वर्ष
I. अथ शेष			I. व्यय		
(क) उपलब्ध नकदी			(क) स्थापना व्यय (अनुसूची 18 के अनुरूप)		
(ख) बैंक में जमा राशि			(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 19 के अनुरूप)		
(i) चालू खातों में					
(ii) जमा खातों में					
(iii) बचत खाता					
II प्राप्त अनुदान			II विभिन्न परियोजनाओं के		
(क) भारत सरकार से			लिए निधियों से किया गया भुगतान (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ निधि या परियोजना का नाम दर्शाया जाना चाहिए)		
(ख) अन्य स्रोतों से (विवरण) (पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग अलग दर्शाया जाएगा)					
III. निम्नलिखित के निवेश से आय			III. निवेश और जमा		
(क) विनिर्धारित/ अक्षय-निधि			(क) विनिर्धारित/ अक्षय-निधि में से		
(ख) स्व निधि (निवेश - अन्य)			(ख) स्व निधि से (निवेश - अन्य)		
IV. प्राप्त ब्याज			IV. कार्य प्रगति पर अचल परिसंपत्तियों और पूंजी पर व्यय		
(i) बैंक जमा पर			(क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद		
(ii) ऋण, अग्रिम आदि पर।			(ख) कार्य प्रगति पर पूंजी पर व्यय		
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			V. अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
			a. भारत सरकार को		
			b. अन्य धन प्रदाताओं को		
VI. उधार ली गई राशि/ऋण			VI. वित्त शुल्क (ब्याज)		
र इ. ७५१८ था यह सारा/यहण			+ 10 । ज (। दीरका (व्याज)		
VII. कोई अन्य प्राप्तियां (ब्यौरा दें)			VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		

	VI	II. इति शेष	
		(a) उपलब्ध नकद	
		(b) बैंक जमा राशि	
		(i) चालू खातों में	
		(ii)जमा खातों में	
		(iii) बचत खाते	
कुल	कुल	Г	

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त प्रभाग के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है।

स्थान: दिल्ली तारीख:

अनुसूची - I [नियम 3 का उप-नियम (1) और प्रपत्र 'क' *देखें]* संग्रह/पूंजी निधि 31 मार्च ____को तुलन पत्र के भाग के रूप में

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू व	वर्ष	पूर्व	
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि				
जोड़ें: संग्रह/पूंजी निधि में अंशदान				
जोड़ें/(घटाएं): निवल आय/आय तथा व्यय खाते से हस्तांतरित (व्यय) का शेष				
वर्ष के अंत में शेष राशि				

अनुसूची –II

[नियम 3 का उप-नियम (1) और प्रपत्र 'क' *देखें]*

आरक्षित और अधिशेष राशि

31 मार्च _____को तुलन पत्र के भाग के रूप में

	विवरण	चालू	्वर्ष	पूर्वः	वर्ष
1.	आरक्षित पूंजी				
	पिछले खाते के अनुसार				
	वर्ष के दौरान परिवर्धन				
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
2.	पुनर्मूल्यांकित आरक्षित राशि				
	पिछले खाते के अनुसार				
	वर्ष के दौरान परिवर्धन				
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
3.	विशेष आरक्षित राशि				
	पिछले खाते के अनुसार				

	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
4.	सामान्य आरक्षित राशि		
	पिछले खाते के अनुसार		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
	कुल		

अनुसूची-III

[नियम 3 का उप-नियम (1) और प्रपत्र 'क' *देखें]*

निर्धारित/ अक्षय-निधि

31 मार्च ____को तुलन पत्र के भाग के रूप में

	विवरण निधि-वार विवरण योग						
	विवरण		ानाध-वा	र ाववरण		योग	
		निधि WW	निधि XX	निधि YY	निधि ZZ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क)	निधियों का अथ शेष						
(ख)	निधि में परिवर्धन:						
	(i) दान/अनुदान						
	(ii) निधियों के लेखे से किए गए निवेश से आय						
	(iii) अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)						
	कुल (क+ख)						
(ग)	निधियों के उद्देश्यों से उपयोग/व्यय						
	(i) पूंजीगत व्यय						
	- अचल संपत्तियां						
	- अन्य						
	कुल (ग)(i)						
	(ii) राजस्व व्यय						
	- वेतन, मज़दूरी और भत्ते आदि						
	- किराया						
	- अन्य प्रशासनिक व्यय						
	कुल (ग)(ii)						

कुल (ग)			
वर्ष के अंत में निवल शेष (क + ख - ग)			

- 1. अनुदान से संबद्ध शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों के तहत प्रकटीकरण किया जाएगा।
- 2. केंद्र सरकार से प्राप्त योजना निधि को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और इसे किसी अन्य निधि के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

अनुसूची - IV [नियम 3 का उप-नियम (1) और प्रपत्र 'क' *देखें]*31 मार्च ____ को तुलन पत्र के भाग के रूप में प्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रुपये में)

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	केंद्र सरकार		
2.	वित्तीय संस्थान		
	(क) सावधि ऋण		
	(ख) अर्जित ब्याज और देय राशि		
3.	बैंक		
	(क) सावधि ऋण - अर्जित ब्याज और देय राशि		
	(ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें) - अर्जित ब्याज और देय राशि		
4.	अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ		
5.	डिबेंचर और बॉन्ड		
6.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	कुल		
	टिप्पणी: एक वर्ष के भीतर देय राशि		

अनुसूची - V

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'क' *देखें]*31 मार्च ____को तुलन पत्र के भाग के रूप में
अप्रतिभूत ऋण और उधार

	विवरण	चालू वर्ष		पूर्व	वर्ष
1.	केंद्र सरकार				
2.	वित्तीय संस्थान				
3.	बैंकों				
	(क) सावधि ऋण				

	(ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
4.	अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ		
5.	डिबेंचर और बांड		
6.	सावधि जमा		
7.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	कुल		
	नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि		

अनुसूची - VI

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'क' \hat{c} खें J

आस्थगित ऋण देनदारियाँ

31 मार्च _____को तुलन पत्र के भाग के रूप में

(राशि रुपये में)

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों को दृष्टि बंधक रखने के द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		
2.	अन्य		
	कुल		
	नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि		

अनुसूची - VII

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'क' *देखें]*

वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान

31 मार्च ____को तुलन पत्र के भाग के रूप में

			(*** * * * * * * * * * * * * * * * * *
	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क .	वर्तमान देनदारियां		
1.	स्वीकृतियां		
2.	विविध लेनदार:-		
	(क) सामान के लिये		
	(ख) अन्य		
3.	प्राप्त अग्रिम		
4.	निम्निलिखित पर अर्जित परंतु अदेय ब्याज:		
	(क) प्रतिभूत ऋण/उधार		
	(ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार		

	3 C C		
5.	वैधानिक दायित्व:		
	(क) अतिदेय		
	(ख) अन्य		
6.	अन्य वर्तमान देनदारियां		
	कुल (क)		
ख.	प्रावधान		
1.	कराधान के लिए		
2.	उपदान		
3.	अधिवर्षिता/पेंशन		
4.	संचित छुट्टी नकदीकरण		
5.	व्यापार वारंटी/दावे		
6.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	कुल (ख)		
	कुल (क+ख)		

परिसंपत्तियों की लागत किराया खरीद के आधार पर ऊपर शामिल की गई है।

अनुसूची – VIII

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'क' *देखें]*

अचल संपत्तियां

31 मार्च ____को तुलन पत्र के भाग के रूप में

									(KIISI V	* 1 7 1)
		सव	न्ल ब्लॉक			Ŧ,	ल्यह्रास		नेट	ब्लॉक
विवरण	वर्ष की शुरुआत में लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समा योजन	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	वर्ष के अंत तक कुल	चा लू वर्ष के अंत में	पिछ ले वर्ष के अंत में
क. अचल संपत्ति										
1. भूमि										
(क) फ्रीहोल्ड										
(ख) लीजहोल्ड										
2. इमारतें										

(क) फ्रीहोल्ड भूमि पर					
(ख) लीजहोल्ड भूमि पर					
(ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/ परिसर					
(घ) भूमि पर अधिरचना एं जो संस्थान से संबंधित नहीं है।					
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण					
4. वाहन					
5. फर्नीचर और साज- सज्जा					
6. कार्यालय उपकरण					
7. कंप्यूटर/ सहायक सामग्री					
8. विद्युत संस्थापना एं					
9. पुस्तकालय की पुस्तकें					
10. ट्यूब वेल और जलापूर्ति					

11. अन्य					
अचल संपत्तियां					
चालू वर्ष का कुल					
पिछले वर्ष का कुल					
का कुल					
ख. चल					
रहा <u>- </u>					
रहा पूंजीगत कार्य					
कुल					

नोट: ऊपर शामिल किराया खरीद के आधार पर परिसंपत्तियों की लागत के अनुसार दिया जाए।

अनुसूची - IX

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'क' *देखें]*

निर्धारित/एकमुश्त निधि से निवेश

31 मार्च _____को तुलन पत्र के भाग के रूप में

(राशि रुपये में)

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3.	शेयर		
4.	डिबेंचर और बांड		
5.	सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम		
6.	अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		
	कुल		

अनुसूची - X

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'क' *देखें]*

निवेश - अन्य

31 मार्च _____को तुलन पत्र के भाग के रूप में

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3.	शेयर		

4.	डिबेंचर और बांड	
5.	सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	
6.	अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	
	कुल	

अनुसूची - XI

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'क' *देखें]*वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि
31 मार्च _____को तुलन पत्र के भाग के रूप में

_	,		(रााश रुपय म)
	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		
क)	वर्तमान परिसंपत्ति:		
1.	ऋण:		
	(क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		
	(ख) अन्य		
2.	उपलब्ध नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)		
3.	बैंक शेष:		
	(क) अनुसूचित बैंकों के पास:		
	(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास:		
	- चालू खातों में		
	- जमा खातों में		
	- बचत खाते में		
4.	डाकघर - बचत खाते		
	कुल (क)		
ख)	ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ		
1.	निम्निलखित को ऋण:		
	(क) कर्मचारी		
	(ख) संस्थान के सदृश गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएँ		
	(ग) अन्य (निर्दिष्ट करे)		
2.	नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि:		

	(क) पूंजी खाते पर		
	(ख) पूर्वभुगतान		
	(ग) अन्य		
3.	अर्जित आय		
	(क) निर्धारित/ एकमुश्त निधि से निवेश पर		
	(ख) निवेश पर - अन्य		
	(ग) ऋण और अग्रिम पर		
	(घ) अन्य (अप्राप्त देय आय रु. शामिल है)		
4.	प्राप्य दावे		
	कुल (ख)		
	कुल (क+ख)		

अनुसूची - XII

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'ख' *देखें]*

अनुदान/सब्सिडी

(अपरिवर्तनीय अनुदान और प्राप्त सब्सिडी)

31 मार्च _____को समाप्त वर्ष के लिए

आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में

(राशि रुपये में)

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	केंद्र सरकार		
2.	सरकारी एजेंसियां		
3.	संस्थाएँ/कल्याणकारी निकाय		
4.	अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
5.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	कुल		

अनुसूची - XIII

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'ख' *देखें]*

शुल्क/सदस्यता

31 मार्च _____ को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	प्रवेश शुल्क		
2.	दाखिल करने का शुल्क		

3.	सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क		
4.	परामर्शी शुल्क		
5.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	कुल		
	नोट - प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियों का प्रकटन किया जाना है		

अनुसूची - XIV

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'ख' *देखें]*

निवेश से आय

(निवेश पर आय। निर्धारित/ एकमुश्त निधि से निधियों में स्थानांतरित)

31 मार्च _____को समाप्त वर्ष के लिए

आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में

(राशि रुपये में)

	विवरण	निर्धारित नि	नेधि से निवेश	निवेश	- अन्य
		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	1. ब्याज				
	(क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
	(ख) अन्य बांड/डिबेंचर				
2.	लाभांश				
	(क) शेयरों पर				
	(ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3.	किराए				
4.	अन्य (निर्दिष्ट करें)				
	कुल				

अनुसूची - XV

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'ख' *देखें]*रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

31 मार्च _____ को समाप्त वर्ष के लिए
आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	रॉयल्टी से आय		
2.	प्रकाशन से आय		
3.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	कुल		

अनुसूची – XVI

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'ख' *देखें]* रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय 31 मार्च ____को समाप्त वर्ष के लिए

आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में

(राशि रुपये में)

-			<u>, </u>
	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	सावधि जमा पर		
	(क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
	(ग) संस्थानों के साथ		
	(घ) अन्य		
2.	बचत खातों पर		
	(क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
	(ग) डाकघर बचत खाते		
	(घ) अन्य		
3.	港 町		
	(क) कर्मचारी/स्टाफ		
	(ख) अन्य		
4.	देनदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज		
	कुल		
	नोट - स्रोत पर काटे गये कर को दर्शाया जाए	'	1
	I.		

अनुसूची - XVII

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'ख' देखें]

अन्य आय

31 मार्च ____को समाप्त वर्ष के लिए

आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
	(क) स्वामित्व वाली संपत्ति		
	(ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त संपत्तियाँ		

2.	विविध सेवाओं के लिए शुल्क	
3.	विविध आय	
	कुल	

अनुसूची - XVIII

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'ख' देखें]

स्थापना व्यय

31 मार्च ____ को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में

(राशि रुपये में)

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	वेतन और मजदूरी		
2.	भत्ते और बोनस		
3.	भविष्य निधि में अंशदान		
4.	अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)		
5.	कर्मचारी कल्याण व्यय		
6.	यात्रा व्यय (घरेलू और विदेशी)		
7.	एनपीएस में अंशदान		
8.	उपदान निधि में अंशदान		
9.	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों पर व्यय		
10.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	कुल		

अनुसूची - XIX

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'ख' *देखें]*

अन्य प्रशासनिक व्यय

31 मार्च _____को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	क्रय		
2.	श्रम और प्रसंस्करण व्यय		
3.	कारटेज और कैरिज इनवर्ड्स		
4.	बिजली और ऊर्जा		
5.	जल प्रभार		

6.	बीमा
7.	मरम्मत और रखरखाव
8.	किराया, दरें और कर
9.	वाहन चलाने, रखरखाव या किराये पर लेने का शुल्क
10.	डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क
11.	प्रिंटिंग व स्टेशनरी
12.	यात्रा एवं वाहन व्यय
13.	सेमिनार/कार्यशालाओं पर व्यय
14.	सदस्यता व्यय
15.	फीस व्यय
16.	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/कानूनी शुल्क
17.	आतिथ्य व्यय
18.	व्यावसायिक शुल्क
19.	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान
20.	बट्टे खाते में डाले गए अपरिवर्तनीय शेष
21.	पैकिंग शुल्क
22.	माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय
23.	वितरण व्यय
24.	विज्ञापन एवं प्रचार
25.	अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)
	कुल

अनुसूची - XX

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'ख' *देखें]*

अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

31 मार्च ____को समाप्त वर्ष के लिए

आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में

(राशि रुपये में)

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान		
2.	संस्थानों /संगठनों को दी गई सब्सिडी		
	कुल		

नोट: संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों के साथ-साथ अनुदान/सब्सिडी की राशि का प्रकटन किया जाना है।

अनुसूची - XXI

[नियम 3 का उपनियम (1) और प्रपत्र 'ख' देखें]

ब्याज

31 मार्च _____को समाप्त वर्ष के लिए

आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में

(राशि रुपये में)

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	सावधि ऋण पर		
2.	अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)		
3.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	कुल		

अनुसूची - XXII

[नियम 3 का उप-नियम (1), प्रपत्र 'क' और प्रपत्र 'ख' *देखें]*31 मार्च _____को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (व्याख्यात्मक)

1. लेखांकन परंपरा

वित्तीय विवरण , जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर और लेखांकन की प्रोद्धवन पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. निवेश

- 2.1 "दीर्घकालिक निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों की वहन लागत में अस्थायी से इतर अन्य गिरावट का प्रावधान किया गया है।
- 2.2 "चालू" के रूप में वर्गीकृत निवेश कम लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान वैश्विक आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से विचारित प्रत्येक निवेश के लिए किया जाता है।
- 2.3 लागत में ब्रोकरेज, स्थानांतरण स्टाम्प जैसे अधिग्रहण व्यय शामिल होते हैं।

3. अचल परिसंपत्तियां

- 3.1 अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है जिसमें आवक माल ढुलाई, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल होते हैं। निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व-संचालन व्यय (विशिष्ट परियोजना के लिए, इसके पूरा होने से पहले, ऋण पर ब्याज सहित), पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का हिस्सा होते हैं।
- 3.2 गैर-मौद्रिक अनुदान (संग्रह निधि के लिए अनुदान के अलावा) के माध्यम से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को आरक्षित पूंजी के अनुरूप ऋण द्वारा, उल्लिखित मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

1.1 अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा देनदारियों के रूपांतरण के कारण उत्पन्न लागत समायोजन पर मूल्यहास को छोड़कर, जिसे संबंधित परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है, आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार स्ट्रेट लाइन पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

- 1.2 वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में परिवर्धन/कटौती के संबंध में, मूल्यह्रास पर आनुपातिक आधार पर विचार किया जाता है।
- 5. रु. 5,000 या उससे कम मूल्य की परिसंपत्तियां पूर्णत: प्रदान की जाती हैं। विविध व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को उसके खर्च किए जाने के वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के पश्चात बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

6. बिक्री के लिए लेखांकन

बिक्री में उत्पाद शुल्क शामिल होता है और इसमें बिक्री वापसी, छूट और व्यापार छूट शामिल होता है।

7. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

- 7.1. परियोजनाओं की स्थापना की पूंजीगत लागत के प्रति अंशदान की प्रकृति के सरकारी अनुदान को आरक्षित पूंजी माना जाता है।
- 7.2. अर्जित विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों के संबंध में अनुदान को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत से कटौती के रूप में दर्शाया जाता है।
- 7.3. सरकारी अनुदान/सब्सिडी का लेखांकन वसूली के आधार पर किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेनदेन

- 8.1. विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लेन-देन का लेखांकन लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।
- 8.2. चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देनदारियों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को अचल संपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है, यदि अचल संपत्तियों से संबंधित विदेशी मुद्रा देयता, और अन्य मामलों में राजस्व पर विचार किया जाता है।

9. पट्टा

लीज किराये का व्यय लीज शर्तों के संदर्भ में किया जाता है।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

- 10.1. कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित की जाती है।
- 10.2. कर्मचारियों को संचित अवकाश नकदीकरण लाभ का प्रावधान इस धारणा पर उपार्जित और परिकलित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

अनुसूची - XXIII

[नियम 3 का उप-नियम (1), प्रपत्र 'क' और प्रपत्र 'ख' *देखें]* आकस्मिक देनदारियाँ और खातों पर टिप्पणियाँ (व्याख्यात्मक) 31 मार्च___ को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में

		•		`	•
1		आको	स्मक	दयत	ш
•	•	~11 111		4 1 11	' '

1.1. ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया संस्थान के विरुद्ध दावे - रु	
(पिछले वर्ष रु)	
1.2. के संबंध में:	
- संस्थान द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी - रु (पिछले वर्ष रु	_)
- संस्थान की ओर से बैंक द्वारा खोले गए ऋण पत्र - रु (पिछले वर्ष रु	

- बैंकों के साथ छूट वाले बिल रु (पिछले वर्ष रु)
1.3. निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगें:
आयकर रु (पिछले वर्ष रु)
जीएसटी रु (पिछले वर्ष रु)
नगरपालिका कर रु (पिछले वर्ष रु)
1.4. आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए पक्षकारों के दावों के संबंध में, लेकिन संस्थान द्वारा विरोध किया गया – र (पिछले वर्ष रु)
2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं
पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों का अनुमानित मूल्य (अग्रिमों का कुल) रु (पिछले वर्ष रु)
3. पट्टे की बाध्यताएँ
संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत किराये के लिए भविष्य के दायित्वों की राशि रु (पिछले वर्ष रु)
4. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम
प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर मूल् होता है, जो कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है।
5. कराधान
आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कोई करयोग्य आय न होने के कारण आयकर का कोई प्रावधान आवश्यक नर्ह माना गया है।
6. विदेशी मुद्रा लेनदेन
6.1. सीआईएफ आधार पर गणना की गई आयात का मूल्य:
- तैयार माल की खरीद
- कच्चा माल एवं घटक (पारगमन सहित)
- पूंजीगत माल
- भंडार, पुर्जे और उपभोग्य वस्तुएं
6.2. विदेशी मुद्रा में व्यय:
- यात्रा
- वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषण और ब्याज भुगतान
- अन्य व्यय :
 बिक्री पर कमीशन
कानूनी और व्यावसायिक व्यय
• विविध व्यय
6.3. लाभ
6.4 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिकः

लेखा परीक्षकों के रूप में:

- कराधान मामले
- प्रबंधन सेवाओं के लिए
- प्रमाणीकरण के लिए
- अन्य
- 7. पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुन: समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
- 8. अनुसूचियां I से XXXIII संलग्न हैं और_____के तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय खाते का एक अभिन्न अंग हैं।

[फा.सं.डीएसटी/एएनआरएफ/जेड-02/2023] अखिलेश गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi the 2nd February, 2024

G.S.R. 87(E).—The following draft rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clauses (i) and (j) of sub-section (2) of section 23 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty (30) days from the date of publication of the draft in the official Gazette;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Senior Adviser, Department of Science and Technology, Government of India, Technology Bhawan, New Delhi – 110016 or by e-mail at akhilesh.g@nic.in and praveen@nic.in;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Anusandhan National Research Foundation (Form of annual statement of accounts) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Act" means the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023;
 - (b) "Form" means Form annexed to these rules:
 - (c) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;
 - (d) "Year" means a financial year beginning on the 1st day of April and ending on 31st day of march of the immediately following year.
 - (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.
- 3. Annual statement of accounts and other relevant records. (1) At the end of every financial year, the Executive Council shall prepare its annual statements of accounts, balance sheet, income and expenditure account, and receipt and payment account in the Forms of financial statement as specified in Form 'A', Form 'B', Form 'C' in Schedules annexed to these rules.
 - (2) The approved statement of accounts of the Foundation shall be forwarded by the Executive Council to the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him on his behalf, for the purposes of audit, within three months of the end of the financial year.

- (3) The annual statement of accounts of the Foundation, as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him on his behalf, along with the audit report theron for every financial year shall be forwarded by Executive Council to the Central Government, for laying before each House of Parliament.
- 4. Maintenance of accounts. The Executive Council shall preserve the balance sheet, the income and expenditure account, and the receipt and payment account referred to in sub-rule (1) of rule 3, for a minimum period of five years, following the year to which they relate.

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

[see sub rule (1) of rule 3]
Form – 'A'

	Form – 'A'	
Anusandhan National Research Foundation		
Balance Sheet as at 31st March		

(Amount in Rs.)

FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
Fund	I		
Reserve and Surplus	II		
Earmarked/ Endowment Funds	III		
Secured Loans and Borrowings	IV		
Unsecured Loans and Borrowings	V		
Deferred Credit Liabilities	VI		
Current Liabilities and Provisions	VII		
TOTAL			
ASSETS			
Fixed Assets	VIII		
Investments – Form Earmarked/ Endowment Funds	IX		
Investments – Others	X		
Current Assets, Loans and Advances	XI		
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written of or adjusted)			
TOTAL			
Significant Accounting Policies	XXII		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	XXIII		

ANUSANDHAN NATIONAL RESEARCH FOUNDATION

To be signed by Chief Executive Officer and Head of the Finance Division.

Place:

Date:

Form 'B' INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/ YEAR ENDED ___ [see sub rule (1) of rule 3]

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Grants/ Subsidies	XII		
Fees/Subscriptions	XIII		
Income from Investments (Income on investment, from	XIV		
earmarked/endowment funds transferred to funds)			
Income from Royalty, Publications etc.	XV		
Interest Earned	XVI		
Other Income	XVII		
Total (A)			
EXPENDITURE	Schedule	Current Year	Previous Year
Establishment Expenses	XVII		
Other Administrative Expenses etc.	XIX		
Expenditure on Grants, subsidies etc.	XX		
Interest	XXI		
Depreciation (Net Total at the year end corresponding to	XXII		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 23

Schedule VIII)		
Total (B)		
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		
Transfer to Special Reserve (Specify each) Transfer to/from		
General Reserve		
Balance Being Surplus (Deficit) Carried to Corpus/Capital		
Fund		
Significant Accounting Policies	XXII	
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	XXIII	

ANUSANDHAN NATIONAL RESEARCH FOUNDATION

To be signed by Chief Executive Officer and Head of the Finance Division.

Place: Delhi Date:

Form 'C' RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNTS FOR THE PERIOD/ YEAR ENDED _____ [see sub rule (1) of rule 3]

D. C.	(Amount in Rs.)				
RECEIPTS	Current	Previous	PAYMENTS	Current	Previous
	Year	Year		Year	Year
I. Opening Balances			I. Expenses		
(a) Cash in Hand			(a) Establishment		
			expenses		
			(corresponding to		
			Sch. 18)		
(b) Bank Balance			(b) Administrative		
			Expenses		
			(Corresponding to		
			Schedule 19)		
(i) In current					
Accounts					
(ii) In Deposit					
Accounts					
(iii) Saving Accounts					
II. Grants Received			II. Payment made against		
(a) From Government			funds for various projects		
of India			(Name of the fund or		
oi india					
			project should be shown		
			along with the particulars		
			of payment made for each		
(1) F			project)		
(b) From Other					
Sources (Details)					
(Grants for Capital					
and Revenue					
Expenditure to be					
shown separately)					
III. Income on Investment			III. Investments and		
from			Deposits Made		
(a) Earmarked/			(a) Out of		
Endowment funds			Earmarked/Endow		
			ment funds		
(b) Own funds		<u> </u>	(b) Out of own funds		
(Investment -			(Investment -		
others)			others)		
IV. Interest Received			IV. Expenditure on Fixed		
			Assets & Capital Work-		
			in-Progress		
			1.08.000		

(') O D 1	() D 1 C C 1	
(i) On Bank	(a) Purchase of fixed	
Deposits	Assets	
(iii) Loans, advances,	(b) Expenditure on	
etc.	Capital Work-in-	
	progress	
V. Other Income (Specify)	V. Refund of surplus	
v. other meome (openly)	money/ loans	
	(a) To the	
	Government	
	of India	
	(b)To other	
	providers of funds	
	•	
VI. Amount Borrowed/	VI. Finance Charges	
Loans	(Interest)	
	, ,	
VII. Any other receipts	VII. Other Payments	
(give details)	(Specify)	
	VIII. Closing Balances	
	(a) Cash in Hand	
	(b) Bank Balances	
	(i) In current	
	Accounts	
	(ii) In Deposit	
	Accounts	
	(iii) Savings	
	Accounts	
TOTAL	TOTAL	

ANUSANDHAN NATIONAL RESEARCH FOUNDATION

To be signed by Chief Executive Officer and Head of the Finance Division.

Place: Delhi Date:

SCHEDULE – I [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'A'] CORPUS/ CAPITAL FUND Forming part of Balance Sheet as at 31st March

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	Current Ye	ear	Previ Yea	
Balance as at the beginning of the year				
Add: Contribution towards Corpus/Capital Fund				
Add/(Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income				
and Expenditure Account				
BALANCE AS AT THE YEAR END				

SCHEDULE – II [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'A'] RESERVES AND SURPLUS Forming part of Balance Sheet as at 31st March

	PARTICULARS	Current Year Previous Year		s Year	
1.	Capital Reserve				
	As per last Account				
	Addition during the year				
	Less: Deductions during the year				
2.	Revaluation Reserve				

	As per last Account		
	Addition during the year		
	Less: Deductions during the year		
3.	Special Reserves		
	As per last Account		
	Addition during the year		
	Less: Deductions during the year		
4.	General Reserve		
	As per last Account		
	Addition during the year		
	Less: Deductions during the year		
	TOTAL		

SCHEDULE -III [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'A'] EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS Forming part of Balance Sheet as at 31st March

	1	1	nount in Rs.)				
	PARTICULARS	FU.	FUND-WISE BREAK UP				ΓALS
		Fund	Fund	Fund	Fund	Current	Previous
()	0 1 1 0 1	WW	XX	YY	ZZ	Year	Year
(a)	Opening balance of the funds						
(b)	Additions to the Funds:						
	(i) Donations/grants						
	(ii) Income from						
	investments made on						
	account of funds						
	(iii) Other additions						
	(specify nature)						
	Total (a +b)						
(c)	Utilisation/Expenditure towards						
	objectives of funds						
	(i) Capital Expenditure						
	- Fixed Assets						
	0.1						
	- Others						
	Total (c)(i)						
	(ii) Revenue Expenditure						
	- Salaries, Wages and						
	allowances etc.						
	- Rent						
	Oil Allina						
	- Other Administrative						
	Expenses						
	Total (c)(ii)						
	Total (c)						
	NET BALANCE AS AT THE						
	YEAR END (a + b - c)						

- 1. Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
- 2. Plan Funds received from the Central Government are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other funds.

SCHEDULE - IV

[See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'A'] SECURED LOANS AND BORROWINGS

Forming part of Balance Sheet as at 31st March _____

(Amount in Rs.)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
1.	Central Government		
2.	Financial Institutions		
	(a) Terms Loans		
	(b) Interest accrued and due		
3.	Banks		
	(a) Term Loans - Interest accrued and due		
	(b) Other Loans (specify) – Interest accrued and due		
4.	Other Institutions and Agencies		
5.	Debentures and bonds		
6.	Others (Specify)		
	TOTAL		
	Note: Amounts due within one year		

SCHEDULE – V [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'A'] UNSECURED LOANS AND BORROWINGS Forming part of Balance Sheet as at 31st March

(Amount in Rs.)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
1.	Central Government		
2.	Financial Institutions		
3.	Banks		
	(a) Term Loans		
	(b) Other Loans (specify)		
4.	Other Institutions and Agencies		
5.	Debentures and bonds		
6.	Fixed Deposits		
7.	Others (Specify)		
	TOTAL		
	Note: Amounts due within one year		

SCHEDULE - VI

[See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'A'] DEFERRED CREDIT LIABILITIES

Forming part of Balance Sheet as at 31st March _____

(Amount in Rs.)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
1.	Acceptances secured by hypothecation of capital		
	equipment and other assets		
2.	Others		
	TOTAL		
	Note: Amounts due within one year		

SCHEDULE – VII [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'A'] CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

Forming part of Balance Sheet as at 31st March ___

	PARTICULARS	Current Y	Year	Previous Year	
A.	CURRENT LIABILITIES				
1.	Acceptances				
2.	Sundry creditors:-				

	(a) For Goods		
	(a) Others		
3.	Advances Received		
4.	Interest accrued but not due on:		
	(a) Secured Loans/borrowings		
	(b) Unsecured Loans/borrowings		
5.	Statutory Liabilities:		
	(a) Overdue		
	(b) Others		
6.	Other Current Liabilities		
	TOTAL (A)		
Α.	PROVISIONS		
1.	For Taxation		
2.	Gratuity		
3.	Superannuation/Pension		
4.	Accumulated Leave Encashment		
5.	Trade Warranties/Claims		
6.	Others (Specify)		
	TOTAL (B)		
	TOTAL (A+B)		

Cost of assets on hire purchase basis included above.

SCHEDULE – VIII [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'A'] FIXED ASSETS

Forming part of Balance Sheet as at 31st March _____

	•								_ \	it in Ks.)
	GROSS BLOCK			DEPRECIATION				NET B	LOCK	
Description	Cost as	Additio	Deduction	Cos	As at the	Durin	Deduction	Tota	As at	As at
	at	ns	s/	t at	beginnin	g the	s/	1	the	the
	beginnin	during	Adjustmen	the	g of the	year	adjustmen	upto	curre	previou
	g of the	the year	ts during	yea	year		t during	the	nt	s year
	year		the year	r			the year	year	year	end
				end				end	end	
A. FIXED										
ASSETS										
1. Land										
(a) Freehold										
(b) Leasehold										
2. Buildings										
(a) On										
Freehold										
Land										
(b) On										
Leasehold										
Land										
(c)										
Ownership										
Flat/										
Premises										
(d)										
Superstructur										
es on Land										
not belonging										
to the entity										

2 P1		ı	1		1	
3. Plant						
Machinery						
and						
Equipment						
4. Vehicles						
5. Furniture						
and Fixture						
6. Office						
Equipment						
7.						
Computers/						
Peripherals						
8. Electrical						
Installations						
9. Library						
Books						
10. Tube						
wells and						
Water Supply						
11. Other						
Fixed Assets						
Total of						
current year						
Total of						
previous year						
B. CAPITAL						
WORK IN						
PROGRESS						
TOTAL						

Note: To be given as to cost of assets on hire purchase basis included above

SCHEDULE – IX [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'A'] INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS Forming part of Balance Sheet as at 31st March

(Amount in Rs.)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
1.	In Governments Securities		
2.	Other approved Securities		
3.	Shares		
4.	Debentures and Bonds		
5.	Subsidiaries and Joint Ventures		
6.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

SCHEDULE – X [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'A'] INVESTMENTS – OTHERS Forming part of Balance Sheet as at 31st March

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
1.	In Government Securities		
2.	Other approved Securities		
3.	Shares		
4.	Debentures and Bonds		
5.	Subsidiaries and Joint Ventures		
6.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 29

SCHEDULE - XI

[See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'A'] CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.

Forming part of Balance Sheet as at 31st March _____

(Amount in Rs.)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year		
	CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES				
	ETC.				
Α.	Current Assets:				
1.	Debts:				
	(a) Debts Outstanding for a period				
	exceeding six months				
	(b) Others				
2.	Cash balances in hand (including cheques/ drafts				
	and imprest)				
3.	Bank Balances:				
	(a) With Scheduled Banks:				
	(b) With Non-Scheduled Banks:				
	- In current accounts				
	- In deposit accounts				
	- In savings account				
4.	Post Office – Savings Accounts				
	TOTAL (A)				
В.	LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1.	Loans to:				
	(a) Staff				
	(b) Other Entities engaged in activities/				
	objectives similar to that of the entity				
	(c) Other (specify)				
2.	Advances and other amount recoverable in cash				
	or in kind or for value to be received:				
	(a) On capital account				
	(b) Prepayments				
	(c) Others				
3.	Income Accrued				
	(a) On investments from Earmarked/				
	Endowment fund				
	(b) On investment – others				
	(c) On loans and advances				
	(d) Others (includes income due unrealized				
	Rs)				
4.	Claims Receivable				
	TOTAL (B)				
	TOTAL (A+B)				

SCHEDULE – XII [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'B'] GRANTS/ SUBSIDIES

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)
Forming part of Income and Expenditure
Account for the year ended at 31st March

			(Almount in 183.)
	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
1.	Central Government		
2.	Government Agencies		
3.	Institutions/ Welfare Bodies		
4.	International Organisations		

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(1)]

5.	Others (Specify)	
	TOTAL	

SCHEDULE – XIII [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'B'] FEES/ SUBSCRIPTIONS

Forming part of Income and Expenditure
Account for the year ended at 31st March

(Amount in Rs.)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
1.	Entrance Fees		
2.	Filing Fees		
3.	Seminar/ Program Fees		
4.	Consultancy Fees		
5.	Others (Specify)		
	TOTAL		
	Note – Accounting Policies towards each item are to be disclosed		

SCHEDULE – XIV [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'B'] INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on Invest. From Earmarked/ Endowment Funds transferred to Funds)

Forming part of Income and Expenditure

Account for the year ended at 31st March _____

(Amount in Rs.)

	PARTICULARS		MENT FROM ARKED FUND		STMENT - THERS
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1.	1. Interest				
	(a) On Government Securities				
	(b) Other Bonds/ Debentures				
2.	Dividends				
	(a) On Shares				
	(b) On Mutual Fund Securities				
3.	Rents				
4.	Others (Specify)				
	TOTAL				

SCHEDULE – XV [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'B'] INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

Forming part of Income and Expenditure
Account for the year ended at 31st March

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
1.	Income from Royalty		
2.	Income from Publication		
3.	Others (Specify)		
	TOTAL		

SCHEDULE – XVI

[See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'B'] INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

Forming part of Income and Expenditure
Account for the year ended at 31st March

(Amount in Rs.)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
1.	On Term Deposits		
	(a) With Scheduled Banks		
	(b) With Non-Scheduled Banks		
	(c) With Institutions		
	(d) Others		
2.	On Savings Accounts		
	(a) With Scheduled Banks		
	(b) With Non-Scheduled Banks		
	(c) Post Office Savings Accounts		
	(d) Others		
3.	Loans		
	(a) Employees/ Staff		
	(b) Others		
4.	Interest on Debtors and Other Receivables		
	TOTAL		
	Note – Tax deducted at source to be indicated		

SCHEDULE – XVII [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'B'] OTHER INCOME

Forming part of Income and Expenditure
Account for the year ended at 31st March

(Amount in Rs.)

	PARTICULARS	Current	Previous
		Year	Year
1.	1. Profit on Sale/disposal of Assets		
	(a) Owned Assets		
	(b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2.	Fees for Miscellaneous Services		
3.	Miscellaneous Income		
	TOTAL		

SCHEDULE – XVIII [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'B'] ESTABLISHMENT EXPENSES

Forming part of Income and Expenditure Account for the year ended at 31st March

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
1.	Salaries and Wages		
2.	Allowances and Bonus		
3.	Contribution to Provident Fund		
4.	Contribution to Other Fund (specify)		
5.	Staff Welfare Expenses		
6.	Travel Expenses (Domestic and Foreign)		
7.	Contribution to NPS		
8.	Contribution to Gratuity Fund		
9.	Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits		
10.	Others (Specify)		
	TOTAL		

SCHEDULE – XIX [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'B'] OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

Forming part of Income and Expenditure
Account for the year ended at 31st March

(Amount in Rs.)

	(Amount in		
	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
1.	Purchases		
2.	Labour and processing expenses		
3.	Cartage and Carriage Inwards		
4.	Electricity and power		
5.	Water charges		
6.	Insurance		
7.	Repairs and Maintenance		
8.	Rent, Rates and Taxes		
9.	Vehicles Running, Maintenance or Hiring charges		
10.	Postage, Telephone and Communication charges		
11.	Printing and Stationery		
12.	Travelling and Conveyance Expenses		
13.	Expenses on Seminar/ Workshops		
14.	Subscription Expenses		
15.	Expenses of fee		
16.	Auditors Remuneration/ Legal fee		
17.	Hospitality Expenses		
18.	Professional Charges		
19.	Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances		
20.	Irrevocable Balances written- off		
21.	Packing Charges		
22.	Freight and Forwarding Expenses		
23.	Distribution Expenses		
24.	Advertisement and Publicity		
25.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

SCHEDULE – XX [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'B'] EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.

Forming part of Income and Expenditure
Account for the year ended at 31st March

(Amount in Rs.)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
1.	Grants given to Institutions/ Organisations		
2.	Subsidies given to Institution/ Organisations		
	TOTAL		

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/ subsidies are to be disclosed.

SCHEDULE – XXI [See sub-rule (1) of rule 3 and Form 'B'] INTEREST

Forming part of Income and Expenditure
Account for the year ended at 31st March

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
1.	On Fixed Loans		
2.	On Other Loans (including Bank Charges)		
3.	Others (specify)		
	TOTAL		

SCHEDULE - XXII

[See sub-rule (1) of rule 3, Form 'A', and Form 'B'] SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative)

Forming part of Accounts for the year ended at 31st March

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. INVESTMENTS

- 2.1 Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.
- 2.2 Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.
- 2.3 Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

3. FIXED ASSETS

- 3.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalised.
- 3.2 Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (other than towards the Corpus Fund), are capitalised at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

4. DEPRECIATION

- 1.1 Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.
- 1.2 In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.
- 1.3 Assets consisting Rs. 5,000 or less each are fully provided.

5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of five years from the year it is incurred.

6. ACCOUNTING FOR SALES

Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount.

7. GOVERNMENT GRANTS/ SUBSIDIES

- 7.1 Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.
- 7.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.
- 7.3 Government grants/subsidy are accounted on realisation basis.

8. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 8.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.
- 8.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability related to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

9. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

10. RETIREMENT BENEFITS

- 10.1 Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.
- 10.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

SCHEDULE - XXIII

[See sub-rule (1) of rule 3, Form 'A', and Form 'B'] **CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative)**

	Forming part of Accounts for the year ended at 31st March
	CONTINGENT LIABILITIES
1.1.	Claims against the Entity not acknowledged as debts – Rs
	(Previous year Rs)
	In respect of:
-	Bank guarantees given by/ on behalf of the Entity – Rs(Previous year Rs)
-	Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity – Rs (Previous year Rs)
1 2	Bills discounted with banks Rs. (Previous year Rs.)
1.5.	Disputed demands in respect of: Income to Provious weer P
	Income-tax Rs. (Previous year Rs
	G.S.T. Rs (Previous year Rs)
1 1	Municipal Taxes Rs. (Previous year Rs.)
1.4.	In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity – Rs.
2	(Previous year Rs) CAPITAL COMMITMENTS
4.	Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances)
	Rs. (Previous year Rs.)
2	LEASE OBLIGATIONS
	Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs.
	(Previous year Rs.).
	CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES
	In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the
	ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.
	TAXATION
3.	In view of there being no taxable income under Income-tax Act 1961, no provision for Income tax has been
	considered necessary.
6	FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS
	Value of Imports calculated on C.I.F. Basis:
0.1.	- Purchase of finished Goods
	- Raw Materials & Components (Including in transit)
	- Capital Goods
	- Stores, Spares and Consumables
6.2.	Expenditure in foreign currency:
	- Travel
	- Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Banks in Foreign Currency
	- Other Expenditures:
	Commission on Sales
	Legal and Professional Expenses
	Miscellaneous Expenses
6.3.	Earnings
	Remuneration to auditors:
	As auditors:
	Taxation matters
	• For management services
	• For certification
	• Others
7. 8.	Corresponding figures for the previous year have to be regrouped/ rearranged, wherever necessary. Schedules I to XXXIII are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.
	[F. NO.DST/ANRF/Z-02/2023]
	AKHILESH GUPTA, Sr. Advisor